**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

क्रमांक एफ 27(5)ग्राविवि/इ.आ./जिला/2012–13 जयपुर, दिनांक 26 जून, 2013

जिला कलेक्टर,
बांसवाडा, प्रतापगढ, डूंगरपुर,
सिरोही, उदयपुर राजस्थान।

विषय :– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत जारी अधिकार पत्र धारकों को इन्दिरा आवास स्वीकृत करने बाबात्।

महोदय,

आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा दिनांक 11.04.2012 को सूचित किया गया था कि अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत माह फरवरी, 2012 तक इन्दिरा आवास स्वीकृत करने हेतु 31,390 परिवारों को अधिकार पत्र जारी किये गये हैं (प्रति संलग्न)। इस आधार पर भारत सरकार से उक्त परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त लक्ष्यों का आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया (प्रति संलग्न)।

वर्ष 2012–13 के अन्त में भारत सरकार द्वारा उक्त मांग पर 25447 नये आवास निर्माण का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया।

उक्त ऐसे चयनित पात्र बीपीएल परिवार जिनका नाम इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में है, तथा वन विभाग द्वारा भूमि के लिए अधिकार पत्र जारी किया गया है, को वरीयता के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जाना है।

उक्त परिवारों को वरीयता के आधार पर योजना का लाभ देने हेतु आपके जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) को विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06.06.2013 द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि आप जिला स्तर के वन विभाग कार्यालय से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे परिवार जिनको अधिकार पत्र जारी किये गये है, कि सूची अतिशीघ्र प्राप्त करें, ताकि उक्त परिवार आवास निर्माण कर अपना स्थिर जीवनयापन कर सकें।

**उक्त योजनान्तर्गत 01.04.2013 से प्रति इकाई अनुदान सहायता राशि 70,000/– रूपये स्वीकृत की जावेगी। इस हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रति इकाई लागत 70000/– रूपये स्वीकृत नहीं की जाती है, तो शेष अनुदान सहायता राशि (70000–45000) 25000/– रूपये हडको से ऋण लेकर लाभार्थियों को स्वीकृत की जावेगी। अनुदान राशि स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक आवंटित लक्ष्य अनुसार आवेदन तैयार कर MIS का कार्य अभियान के दौरान सम्पादित किया जावे।**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

**भवदीय,**

26/06/13

**(हितबल्लभ शर्मा)**
**अधीक्षण अभियन्ता(ग्रावि)**

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रॉवि एवं पंरावि, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांसवाडा, प्रतापगढ, डूंगरपुर, सिरोही, एवं उदयपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. प्रभारी अधिकारी, (इन्दिरा आवास योजना) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांसवाडा, प्रतापगढ, डूंगरपुर, सिरोही, एवं उदयपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

26/06/13.
अधीक्षण अभियन्ता(ग्रावि)